डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी 2001—फाल्गुन 7, शक 1922

गृह (सी) विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2001

अधिसूचना

क्रमांक 63/सी/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा आगामी विधान सभा उप चुनाव 2001, विधान सभा क्षेत्र 24-मरवाही (अ. ज. जा.) के लिये निम्नांकित पुलिस अधिकारियों की सेवायें शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपता है तथा उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28-ए के लिये नामांकित अधिकारी माना जावेगा :—

(1) पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर एवं उनके अधीनस्थ समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 2nd February 2001

NOTIFICATION

No. 63/ C/2001.—The State Government hereby designates services of Police Officers as "Nominated Officer" on deputation to Election Commission of India under Section 28-A of People Representative Act, 1951 to maintain Law &

Order during the period of Bye-election year 2001, Legislative Assembly Contituency No. 24 Marwahi (S.T.).

(1) Inspector General (Police) Bilaspur and his subordinate officers and personnels.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. VIJAYAVARGIA, Principal Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.